रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) योजना आयोग की आंतरिक बैठक में तैयार प्रारूप पंचवर्षीय योजना में 1997—2002 अवधि के लिए जी डी पी विकास दर 7% प्रतिवर्ष निश्चित की गई है।

योजना पर अभी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार किया जाना है। सरकार ने इस प्रारूप की समीक्षा करने का निर्णय लिया है जिससे शासन के लिए राष्ट्रीय एजेन्डा में यथावर्णित परिवर्तित प्राथमिकताओं को उपयुक्त ढंग से दर्शाया जा सके। विस्तृत कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिन्हें अंतिम रूप दिए जाने पर वर्तमान प्रारूप के साथ समेकित कर दिया जाएगा। इस संशोधित दस्तावेज को तब उचित प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

Clearance of schemes from Orissa

3338. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the names of the schemes received from Government of Orissa pending with Government for their clearance;

(b) the present status of each of them;

(c) the reasons for their pendency; and

(d) the time by which these are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) No Scheme received from Government of Orissa is pending with Planning Commission for its clearance.

(b) to (d) Do not arise.

Comprehensive Poverty Alleviation Programme

3339. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are focussing on a comprehensive poverty alleviation programme with constructive support from the business houses;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government are keen to involve the private sector in this programme including skill development, wage employment and setting up of rural industries;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether a number of private parties have come forward for implementing the poverty alleviation schemes; and

(f) if so, the deatils of concessions and assistance proposed to be provided to them for implementing the poverty alleviation schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS THE MINISTER` OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) to (f) The Government have always welcomed and encouraged participation of business houses and Non-Governmental organisations (NGOs) in poverty alleviation programmes. In fact there is a clear focus on involvement of various Non-Governmental organisation in the implementation of poverty alleviation programmes. council for Advancement of People's Action & Rural Technology (CAPART) was established in February, 1984 specifically for funding NGOs for taking up projects under the various poverty alleviation and rural development schemes.

To supplement Government efforts in regard to poverty alleviation, the Private Sector is being encouraged to take up training programmes. Private ITI's contribute substantially towards skill upgradation through their development progrrammes and by providing necessary training infrastructure support for Training of Rural Youth for Self-employment (TRYSEM).

In addition, there is a National fund for Rural Development established in February, 1984 which attracts donations for rural development projects with tax concessions. It has been included under the category of activities eligible for 100 per cent income tax exemption under Section 35 CCA & 80 GGA of the Income Tax Act, 1961 consequent on the Amendment of the Direct Tax law (Amendment) Act 1989.

पिछड़े जिलों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश

3340. **श्री नागमणि:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशा-निर्देशों की घोषणा कब तक कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) किसी क्षेत्र का नियोजन और विकास तथा इसके लिए निधियों का आबंटन, मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। केन्द्र सरकार ने स्वतः किसी पिछड़े जिले की पहचान नहीं की है। तथापि, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय आधार-संरचनात्मक और औद्योगिक पैरामीटर पर आधारित कर रियायत के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को निर्दिष्ट करने हेतु दिनांक 3 सितम्बर, 1997 को जारी की गई अधिसूचना का० आ० संख्याएं 635 (ई) और 636 (ई) के तहत मार्गदर्शी सिद्धांत अधिसूचित किए हैं।

राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए निधि आबंटन

3341. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०) हेतु 1996-97 और 1997-98 के वर्षों के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान हेतु 1996-97 और 1997-98 के वर्षों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा वास्तव में कितनी धनराशि प्रदान की गयी; और

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 580 करोड़ रुपए की मांग की है; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) राजस्थान को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए स्वीकृत और मुहैया कराई गई राशि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राशि
1996	85.63
1997-98	85.63

(ग) जी, नहीं।

बेरोजगारों की संख्या

3342. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है;

(ख) कुल बेरोजगार लोगों में शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है; और